# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

**संख्या 9/149/2024–4क II.–** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1.** ये नियम हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

**2.** हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के खण्ड (i) में, ''पिछड़े वर्गो 'क' '' शब्द के बाद, '',पिछड़े वर्गो 'ख' '' चिह्न, शब्द तथा वर्णाक्षर रखे जाएंगे।

**3.** उक्त नियमों में, नियम 7 के, खण्ड (ग) में, ''तथा पिछड़े वर्गो 'क' '' शब्दों, चिह्न तथा वर्णाक्षर के स्थान पर, '',पिछड़े वर्गो 'क' तथा पिछड़े वर्गो 'ख' '' चिह्न, शब्द तथा वर्णाक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।